भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1603
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बेघर परिवार

1603. डॉ. फग्गन सिंह कुलस्ते:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री आवास योजना , विशेषकर भूमिहीन लाभार्थियों के लिए कब तक जारी रहने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का उक्त भूमिहीन परिवारों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में राज्य-वार कितने भूमिहीन और बेघर परिवार हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को मार्च, 2024 से आगे 5 वर्षों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवश्यकता को पूरा करने के लिए 2 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा करने के लिए मार्च , 2029 तक कार्यान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। भूमिहीन पीएमएवाईजी लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है , क्योंकि वे पीएमएवाईजी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सबसे हकदार लाभार्थियों में से हैं। पीएमएवाई -जी के तहत, योजना के प्रावधानों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र यह सुनिश्चित करेगा कि भूमिहीन लाभार्थी को सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि (पंचायत की आम भूमि, सामुदायिक भूमि या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों की भूमि) सहित किसी अन्य भूमि से भूमि उपलब्ध कराई जाए। चयनित भूमि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा पर्याप्त बुनियादी ढांचे , जैसे बिजली, सड़क संपर्क और पेयजल की उपलब्धता, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकती हैं।

(ख) चूंकि भूमि राज्य का विषय है , इसलिए मंत्रालय इस मामले पर नीति बनाने की स्थिति में नहीं है। हालाँकि , वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मंत्रालय ने पहले ही राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों से सचिव (राजस्व) और पीएमएवाई-जी से संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव के साथ संबंधित मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स गठित करने का अनुरोध किया है।

पीएमएवाई-जी के तहत बिहार , ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की राज्य सरकारें भूमिहीन लाभार्थियों के लिए योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं, जो इस प्रकार हैं:-

i. बिहार राज्य में "मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता योजना" कार्यान्वित की गई है। यह योजना पात्र लाभार्थियों को अपना आवास बनाने के लिए भूमि खरीदने हेतु 60,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

ii. ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई "वसुंधरा योजना " का उद्देश्य ओडिशा में भूमिहीन गरीबों , झुग्गीवासियों और कमजोर समूहों को भूमि अधिकार और आवास लाभ प्रदान करना है।

iii. महाराष्ट्र राज्य सरकार की "पंडित दीन दयाल उपाध्याय घरकूल जग खरेदी अर्थसहाय योजना" पीएमएवाई-जी के तहत आवास निर्माण के लिए 500 वर्ग फीट जमीन की खरीद के लिए भूमिहीन लाभार्थियों को 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

iv. तमिलनाडु राज्य सरकार पीएमएवाई -जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करा रही है।

मंत्रालय पीएमएवाई -जी (2024-29) के वर्तमान चरण में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सभी भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के प्रावधान की निगरानी कर रहा है।

(ग) भूमिहीन लाभार्थियों का राज्य -वार विवरण तथा भूमि आवंटित लाभार्थियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

अनुबंध

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत बेघर परिवारों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.7.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1603 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत भूमिहीन लाभार्थियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन लाभार्थी	भूमि/सहायता प्रदान की गई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1192	652
2	आंध्र प्रदेश	1908	1900
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	72781	40982
5	बिहार	22977	11884
6	छत्तीसगढ़	6848	6205
7	दमन दीव और दादरा तथा नगर हवेली	0	0
8	गोवा	0	0
9	गुजरात	14055	13524
10	हरियाणा	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	32	24
12	जम्मू और कश्मीर	3621	477
13	झारखंड	0	0
14	कर्नाटक	55436	15436
15	केरल	825	503
16	लद्दाख	0	0
17	लक्षद्वीप	0	0
18	मध्य प्रदेश	38490	36890
19	महाराष्ट्र	109832	91169
20	मणिपुर	0	0
21	मेघालय	1492	639
22	मिजोरम	0	0
23	नागालैंड	0	0
24	ओडिशा	79326	56899
25	पंजाब	204	195

26	**राजस्थान**	55722	54641
27	**सिक्किम**	0	0
28	**तमिलनाडु**	98904	21406
29	**त्रिपुरा**	126	126
30	**उत्तर प्रदेश**	2224	2224
31	**उत्तराखंड**	2001	1321
32	**पश्चिम बंगाल**	5315	3740
कुल		**5,73,311**	**3,60,837**